रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248419
CG-DL-E-29082023-248419

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त, 29, 2023/भाद्र 7, 1945
No. 495] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST, 29, 2023/BHADRA 7, 1945

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 635(अ).—केंद्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात्, दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक (मंत्रालयी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, निदेशक (मंत्रालयी), भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर के, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (मंत्रालयी)	14 (2023) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर - 12 (78,800 - 2,09,200/-रूपए)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्तियो के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नतियों के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा 50% न भरे जाने पर इसे प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएं और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिक्स में स्तर-	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में सम्मिलित हैं:-** (1) प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

11 (67,700-2,08,700/-रु.) में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उप-निदेशकों (मंत्रालयी) में से टिप्पणी: जहां उन कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधी से अधिक से कम या दो वर्ष से कम ना हो, जो भी न्यून है, तथा जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारी: (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद; या (ii) पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (रु.67,700-2,08,700/ रुपए) में पद या समतुल्य पद। (iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में डिग्री या समकक्ष। **टिप्पण** 1:- फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जिनकी सीधे प्रोन्नति होनी है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	(2) आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य; (3) मुख्य लेखा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य; और (4) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि।	

11 (67,700-2,08,700/-रु.) में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उप-निदेशकों (मंत्रालयी) में से टिप्पणी: जहां उन कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधी से अधिक से कम या दो वर्ष से कम ना हो, जो भी न्यून है, तथा जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारी: (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद; या (ii) पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (रु.67,700-2,08,700/ रुपए) में पद या समतुल्य पद। (iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में डिग्री या समकक्ष । **टिप्पण** 1:- फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जिनकी सीधे प्रोन्नति होनी है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	(2) आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य; (3) मुख्य लेखा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य; और (4) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि।	

लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. के-11011/36/2018-डीडी.II]

वी. के. कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2023

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Ministerial) in the Delhi Development Authority, namely :—

1 . **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Delhi Development Authority, Director (Ministerial), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication of the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix. -** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director (Ministerial).	14 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	**Group 'A'**	Level - 12 (Rs.78,800-2,09,200/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	50% by promotion failing which by deputation and 50% by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exist, what is its Composition.**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: From amongst Deputy Directors (Ministerial) of Delhi Development Authority in Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700/) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and possessing a Bachelor's degree from a recognised university or equivalent. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Principal Commissioner (Personnel), Delhi Development Authority - Chairman; (2) Commissioner (Personnel), Delhi Development Authority - Member; (3) Chief Accounts Officer, Delhi Development Authority - Member; and (4) Representative for Scheduled Caste or Scheduled Tribe (to be nominated by the Vice Chairman, Delhi Development Authority).	Not applicable.

have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** Officers from the Central Government or State Government. (i) holding analogous post on regular basis in the parent department or cadre; or (ii) with five years regular service in Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700/) in Pay Matrix or equivalent; (iii) possessing a Bachelor's degree from a recognised university or equivalent. **Note 1:-** The departmental officers in the Feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall also not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**:- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six year as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. K-11011/36/2018-DD.II]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA